अध्ययन दल

परियोजना संचालक

श्री अखिलेश अर्गल, संचालक (सुशासन)

परियोजना दल

श्रीमती ऋचा मिश्रा, कार्यक्रम समन्वयक (सुशासन)

सुश्री बीना भूरिया, परियोजना अधिकारी (सुशासन)

विषय सूची

	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना	i
अध्ययन सारांश	ii-v
अध्याय एकः पृष्ठभूमि	
1.0 सामान्य	1
1.1 सूरजधारा योजना का स्वरूप	1–3
1.1.1. बीज अदला–बदली कार्यक्रम	
1.1.2. बीज स्वावलंबन कार्यक्रम	
1.1.3. बीजोत्पादन कार्यक्रम	
1.2 योजना के उद्देश्य	3
1.3 योजना हेतु पात्रता	3
1.4 योजना अंतर्गत प्राप्त आर्थिक सहायता/अनुदान	4
अध्याय दोः अध्ययन की कार्यविधि	
2.0 पृष्ठभूमि	5
2.1 अध्ययन के उद्देश्य	5
2.2 अध्ययन की रूपरेखा	5–9
2.2.1 अध्ययन हेतु जिलों, विकासखंड एवं गॉवों का चयन	
2.2.2 अध्ययन हेतु प्रतिभागी	
2.2.3 उत्तरदाताओं की संख्या	
2.2.4 अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण	
2.2.4.1 प्रश्नावली	
2.2.4.2 समूह चर्चा	
2.2.5 नमूना परीक्षण एवं प्रश्नावली सुधार	
2.2.6 वालिन्टियर्स का प्रशिक्षण	
2.2.7 आँकड़ों का संग्रहण	
2.2.8. आँकड़ो का परीक्षण एवं संकलन	
2.2.9 आँकड़ो का विश्लेषण	
2.3 निष्कर्ष एवं सुझाव	9
अध्याय तीनः आँकड़ों का विश्लेषण	
3.0 उत्तरदाताओं की प्रस्थिति (Profile of Repondents)	10
3.1 उत्तरदाताओं की सामाजिक प्रस्थिति	10–12
3.1.1 जातिवार स्थिति	
3.1.2 लिंगवार स्थिति	
3.1.3 शैक्षणिक स्थिति	

3.2 उत्तरदाताओं की आर्थिक प्रस्थिति 12–15
3.2.1 आर्थिक श्रेणीवार स्थिति
3.2.2 आय का मुख्य स्त्रोत
3.2.3 कृषक श्रेणी वर्गीकरण
3.2.4 किसान क्रेडिट कार्ड की स्थिति
3.2.5 सिंचाई साधनों के उपलब्धता की स्थिति
3.3 योजना के प्रति जागरूकता का स्तर 15–16
3.3.1 योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करने का स्त्रोत
3.3.2 योजना की प्रक्रियाओं की जानकारी का स्तर
3.4 योजना के क्रियान्वयन की स्थिति 16–20
3.4.1 हितग्राहियों के चयन में ग्रामवासियों से सलाह–मशविरा लिया जाना
3.4.2 योजना के प्रचार–प्रसार हेतु ग्रामीणों से सहयोग लिये जाने की स्थिति
3.4.3 कार्यक्रम के क्रियान्वयन में विभागीय अमले द्वारा ग्रामवासियों से सहयोग लेने की स्थिति
3.4.4 योजनान्तर्गत विभिन्न घटकों में लाभ लेने की आवृत्ति
3.4.5 योजना के अलावा विभाग द्वारा बीज,उर्वरक आदि संसाधनों के उपयोग की जानकारी दिये जाने की स्थिति
3.4.6 योजना क्रियान्वयन में ग्रामसेवक की भूमिका से संतुष्टि का स्तर
3.5 योजना की प्रभावशीलता 20–22
3.5.1 योजना में शामिल होने के पश्चात् पैदावार में अंतर की स्थिति
3.5.2 योजना उपरान्त भूमि में आए बदलाव की स्थिति
3.6 योजना क्रियान्वयन के कमज़ोर पहलू 22
3.7 योजना क्रियान्वयन में सुधार हेतु सुझाव 22

अध्याय चार : निष्कर्ष एवं अनुशंसाऐं

निष्कर्ष

4.1 योजना के प्रति जागरूकता का स्तर 23
4.2 योजना के क्रियान्वयन की स्थिति 23–24
4.2.1 हितग्राहियों का चयन
4.2.2 जानकारी प्राप्त करने का स्त्रोत
4.2.3 योजना के प्रचार–प्रसार में ग्रामवासियों की सहभागिता
4.3 योजना की प्रभावशीलता 24–25

अनुशंसाएं

4.4 योजना का प्रचार–प्रसार 25
4.5 हितग्राहियों का चयन 25
4.6 प्रशिक्षण 26
4.7 किसान क्रेडिट कार्ड 26
4.8 बीज की समय पर उपलब्धता 26

अध्याय पॉच : परिशिष्ट

तालिका: 5.1.1 हितग्राहियों की जातिवार स्थिति 27

तालिका: 5.1.2 हितग्राहियों की लिंगवार स्थिति 27
तालिका: 5.1.3 हितग्राहियों की शैक्षणिक स्थिति 27
तालिका: 5.2.1 हितग्राहियों की आर्थिक श्रेणीवार स्थिति 28
तालिका: 5.2.2 हितग्राहियों की आय का मुख्य स्त्रोत 28
तालिका: 5.2.3 हितग्राहियों का कृषक श्रेणी वर्गीकरण 28
तालिका: 5.2.4 हितग्राहियों के किसान क्रेडिट कार्ड की स्थिति 28
तालिका: 5.2.5 हितग्राहियों के पास सिंचाई साधनों की उपलब्धता 29
तालिका: 5.3.1 हितग्राहियों का योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करने का स्त्रोत 29
तालिका: 5.3.2 हितग्राहियों का योजना की प्रक्रियाओं की जानकारी का स्तर 29
तालिका: 5.4.1 हितग्राहियों के चयन में ग्रामवासियों से सलाह–मशविरा लिया जाना 29
तालिका: 5.4.2. योजना के प्रचार–प्रसार हेतु ग्रामीणों से सहयोग लिये जाने की स्थिति 30
तालिका: 5.4.3 कार्यक्रम के क्रियान्वयन में विभागीय अमले द्वारा ग्रामवासियों से सहयोग लेने की स्थिति 30
तालिका: 5.4.4 योजनान्तर्गत विभिन्न घटकों में लाभ लेने की आवृत्ति 30
तालिका: 5.4.5 योजना के अलावा विभाग द्वारा बीज, उर्वरक आदि संसाधनों के उपयोग की जानकारी दिये जाने की स्थिति 30
तालिका: 5.4.6 योजना क्रियान्वयन में ग्रामसेवक की भूमिका से संतुष्टि का स्तर 31
तालिका: 5.5.1 योजना में शामिल होने के पश्चात् पैदावार में अंतर की स्थिति 31
तालिका: 5.5.2 योजना उपरान्त भूमि में आए बदलाव की स्थिति 31

प्रस्तावना

सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल के विभिन्न उद्देश्यों में से एक शासकीय नीतियों का विश्लेषण तथा लक्ष्य समूह पर उनके प्रभाव का ऑकलन करना है। इस उद्देश्य के परिपालन में चुने हुए राष्ट्रीय संस्थानों के इन्टर्न (Intern), अनुभवी विशेषज्ञों, तथा स्कूल के कोर स्टाफ द्वारा संबंधित शासकीय अधिकारियों के सहयोग से योजनाओं, उनके क्रियान्वयन तथा परिणाम संबंधी अध्ययन समय–समय पर किये जाते रहे हैं। ऐसे अध्ययन, हितग्राहियों के मत, उनकी अपेक्षाओं और क्रियान्वयन से जुड़े अधिकारियों एवं अन्य से प्राप्त सुझावों के विश्लेषण पर आधारित होते है।

''सूरजधारा योजना'' के प्रभाव का आंकलन भी इसी तरह के अध्ययन की कड़ी का एक हिस्सा है, जिसके लिये किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा अनुरोध किया गया था। अध्ययन परियोजना के संचालक श्री अखिलेश अर्गल, संचालक (सुशासन) एवं उनके सहयोगी श्रीमती रिचा मिश्रा, कार्यक्रम समन्वयक (सुशासन) एवं सुश्री बीना भूरियॉ, परियोजना अधिकारी (सुशासन) द्वारा पूर्ण किया गया है। उनका प्रयास सराहनीय है और हमें आशा है कि प्रस्तुत अध्ययन कार्यक्रम विशेष की वर्तमान स्थिति, क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों तथा जन अपेक्षाओं से अवगत होकर बेहतर व्यवस्था स्थापित करने में सहायक होगा।

दिनॉक : 19.09.2011

(एच.पी. दीक्षित)
महानिदेशक
सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल,
भोपाल

अध्ययन सारांश

सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल मध्यप्रदेश शासन की एक स्वशासी संस्था है। स्कूल का मुख्य उद्देश्य शासन की नीतियों एवं कार्यक्रमों का विश्लेषण करना है एवं इसी उद्देश्य के परिप्रेक्ष्य में स्कूल द्वारा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के अनुरोध पर विभागान्तर्गत संचालित महत्वपूर्ण योजना ''सूरजधारा योजना'' के प्रभाव के आंकलन का अध्ययन किया गया है।

सूरजधारा योजना वर्तमान स्वरूप में वर्ष 1999–2000 से संचालित है। योजनान्तर्गत तीन तरह के कार्यक्रम– बीज अदला–बदली, बीज स्वावलंबन एवं बीजोत्पादन संचालित हैं। योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों को अलाभकारी फसलों/किस्मों के स्थान पर लाभकारी दलहनी/तिलहनी फसलों के उन्नत एवं विपुल उत्पादन देने वाले बीज उपलब्ध कराकर उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधारना है। योजनान्तर्गत 75 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान भी है। बीज अदला–बदली कार्यक्रम में विपुल उत्पादन देने वाली किस्मों के उन्नत प्रमाणित बीज (अधिकतम 01 हेक्टैयर क्षेत्र हेतु) हितग्राहियों द्वारा दिये गये बीज के विरूद्ध उपलब्ध कराये जाते हैं, जबकि बीज स्वावलंबन कार्यक्रम अंतर्गत हितग्राहियों को उनके द्वारा धारित भूमि के 1/10 रकबे के लिए आधार/प्रमाणित बीज उपलब्ध कराये जाते हैं। बीजोत्पादन कार्यक्रम में बीज उत्पादन हेतु कम–से–कम 0.2 हेक्टेयर (आधा एकड़) एवं अधिकतम एक हेक्टेयर हेतु उन्नत किस्मों के आधार/प्रमाणित–1 श्रेणी के बीज उपलब्ध कराये जाते है। अदला–बदली एवं बीज स्वावलंबन कार्यक्रम प्रदेश के सभी ज़िलों में क्रियान्वित है, जबकि बीज उत्पादन कार्यक्रम चयनित कृषि प्रक्षेत्रों (30 जिलों में 33 प्रक्षेत्र) के 10 कि.मी. की परिधि में ही क्रियान्वित है।

वर्तमान स्वरूप में भी योजना को संचालित हुए लगभग 10 वर्ष हो चुके हैं। अतः अध्ययन के माध्यम से विभाग द्वारा यह जानने का प्रयास किया गया कि वास्तव में योजना जिस उद्देश्य से संचालित है, वह पूरे हो पा रहे हैं कि नहीं? वर्तमान अध्ययन का मुख्य उद्देश्य योजना की प्रासंगिकता एवं उपयोगिता जानना, हितग्राहियों के भूमि उपयोग में बदलाव का मूल्यांकन करना, हितग्राहियों के कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ–साथ, सेवाप्रदाय प्रणाली कितनी प्रभावी रही है, इसका अध्ययन एवं प्रदाय प्रणाली में सुधार के लिये कारकों की पहचान करना।

अध्ययन हेतु प्रदेश के आदिवासी एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों से रेण्डम आधार पर एक–एक ज़िले (मण्डला एवं इंदौर) का चयन किया गया है। प्रत्येक जिले से दो विकासखंड रेण्डम आधार पर लिये गए हैं। प्रत्येक विकासखण्ड से 100 हितग्राहियों, इस प्रकार कुल 400 हितग्राहियों के अध्ययन का लक्ष्य रखा गया था (लक्ष्य के विरूद्ध 404 हितग्राहियों का अध्ययन किया गया)। अध्ययन में ग्रामों की संख्या के स्थान पर हितग्राहियों की संख्या पर केन्द्रण किया गया है। इस प्रकार एक विकासखंड के जितने गॉवों में 100 हितग्राहियों की संख्या पूरी हुई है, उतने गॉव अध्ययन में शामिल किये गए हैं। इसलिए चयनित गॉवों की संख्या प्रत्येक विकासखंड में अलग–अलग है। यह अध्ययन 44 ग्रामों में किया गया है। अध्ययन हेतु मुख्य रूप से दो उपकरणों– प्रश्नावली एवं समूह चर्चा का उपयोग किया गया है।

अध्ययन अनुसार हितग्राहियों के चयन में योजना के प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है। हितग्राहियों में बीपीएल का प्रतिशत अधिक (65 प्रतिशत) होना, 75 प्रतिशत से अधिक हितग्राहियों का सीमान्त श्रेणी का कृषक होना एवं 70 प्रतिशत हितग्राहियों की आय का मुख्य स्त्रोत खेती होना इस बात की पुष्टि करते हैं।

हितग्राहियों के चयन में ग्रामवासियों से सलाह–मशविरा एवं सहयोग की स्थिति जिलेवार भिन्न–भिन्न है। इन्दौर जिले में जहॉ एक ओर अधिकांश हितग्राहियों (84 प्रतिशत) द्वारा सलाह–मशविरा नहीं लिये जाने की बात कही है, वहीं दूसरी ओर मंडला जिले में लगभग शतप्रतिशत (97 प्रतिशत) हितग्राहियों द्वारा चयन प्रक्रिया में सहभागिता को स्वीकारा गया है। यदि ग्रामवासियों से सलाह–मशविरा एवं सहयोग लेकर हितग्राही चयन किया जाए तो सभी जरूरतमंद लोगों तक योजना का लाभ पहुॅच सकेगा।

इन्दौर जिले में योजना के क्रियान्वयन में एक महत्वपूर्ण प्रावधान को नज़रअंदाज किया गया है। बीज अदला–बदली एवं बीज स्वावलंबन कार्यक्रम अंतर्गत 50 प्रतिशत से अधिक हितग्राहियों को एक ही फसल के लिए एक बार से अधिक लाभ दिया गया है। यदि उसी लाभार्थी को पुनः लाभ दिया जाना है तो उसी फसल के स्थान पर किसी दूसरी फसल के लिये दिया जाना चाहिए था। विश्लेषण अनुसार योजना के उपरोक्त दोनों घटकों के लिए 23 प्रतिशत

हितग्राहियों को दो बार 21 प्रतिशत हितग्राहियों को तीन बार एवं शेष लगभग 15 प्रतिशत लाभाथियों को तीन बार से भी अधिक बार लाभ दिया गया है।

हितग्राहियों (93 प्रतिशत) का योजना की प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ होना क्रियान्वयन का एक कमज़ोर पहलू है। अधिकांश हितग्राहियों को योजना के नाम एवं इसके उद्देश्य की भी जानकारी नहीं है। हितग्राहियों (66 प्रतिशत) का मत है कि योजना के प्रचार–प्रसार हेतु उनसे किसी तरह का सहयोग नहीं लिया गया है। इन्दौर जिले में ग्रामीणों से सहयोग लिये जाने की स्थिति मण्डला जिले की तुलना में बेहतर है।

यद्यपि योजना के प्रभाव के विश्लेषण में 66 प्रतिशत हितग्राहियों द्वारा पैदावार में बढ़ोत्तरी को स्वीकारा गया है, परन्तु उनका कथन है कि यह बढ़ोत्तरी योजनान्तर्गत प्रदाय बीज का परिणाम मात्र नहीं है, बल्कि इसमें अच्छे एवं ज्यादा मात्रा में उर्वरक और कीटनाशक के उपयोग का भी महत्वपूर्ण योगदान है। हितग्राहियों (36 प्रतिशत) द्वारा यह भी बताया गया है कि उनकी भूमि पहले से अधिक उपजाऊ हो गई है एवं अब वे भूमि का उपयोग कई फसलों के लिए करने लगे हैं।

हितग्राहियों को योजना की जानकारी प्राप्त होने के मुख्य स्त्रोत ग्राम सेवक तथा ग्राम सभा/ग्राम पंचायत रहे हैं, जो स्पष्ट करता है, कि ग्राम सेवक द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन ज़िम्मेदारी से किया गया है। साथ ही अधिकांश हितग्राहियों (91 प्रतिशत) द्वारा ग्राम सेवक की भूमिका से संतुष्टि जाहिर की है, जो कि ग्राम सेवक द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन ज़िम्मेदारी से करने का द्योतक है।

योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए योजना के प्रचार प्रसार हेतु विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता है, जिससे कि लाभार्थी योजना के उद्देश्य एवं प्रक्रियाओं से भली–भॉति परिचित हो सकें। योजना के प्रचार–प्रसार एवं हितग्राहियो के चयन में ग्रामवासियों की सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

वर्तमान में ग्रामसेवक द्वारा तैयार की गई हितग्राहियों की सूची सिर्फ एक मौसम विशेष के लिए मान्य होती है। इस सूची को मौसम के स्थान पर साल भर के लिए मान्य किया जा सकता

है जिससे हितग्राहियों का प्रशिक्षण उक्त फसल विशेष के सीज़न के पूर्व हो सके एवं एक ही लाभार्थी को बार–बार लाभ मिलने की स्थिति निर्मित न हो (जैसी की इंदौर जिले में निर्मित हुई है)। चयनित हितग्राहियों को योजना के बारे में कम से कम एक दिवस का प्रशिक्षण अवश्य दिया जाना चाहिए, जिससे योजना के उद्देश्यों एवं प्रक्रिया के बारे में उन्हें संपूर्ण जानकारी हो सके।

अध्ययन में यह बात उभरकर सामने आई है कि योजनान्तर्गत प्रदाय उन्नत एवं प्रमाणित बीजों के लिए ज्यादा मात्रा में उर्वरक और कीटनाशक का इस्तेमाल करना पड़ता है। योजना के अधिकांश लाभार्थी बीपीएल श्रेणी (65 प्रतिशत) एवं सीमान्त कृषक (77 प्रतिशत) होने के कारण उनके लिए उर्वरक एवं कीटनाशक की व्यवस्था करना संभव नहीं रहता है। इसी कारण से उनके द्वारा समूह चर्चा में उर्वरक एवं खाद पर भी अनुदान उपलब्ध कराये जाने का सुझाव दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा वर्तमान में सीमित हितग्राहियों (28 प्रतिशत) के पास ही है। किसान क्रेडिट कार्ड व्यवस्था का विस्तार कर योजना की भावना के अनुरूप अनु.जाति, जनजाति के सीमान्त एवं लघु श्रेणी के कृषकों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है, क्योंकि 65 प्रतिशत से अधिक हितग्राहियों द्वारा योजना उपरान्त पैदावार में बढ़ोत्तरी महसूस की गई है।

अध्ययन में प्राप्त जानकारी के निष्कर्ष अनुसार हितग्राहियों में 80 प्रतिशत से ज्यादा पुरूष हैं, जिसका कारण संभवतः भू–स्वामित्व में पुरूषों का वर्चस्व होना है। अतः हितग्राहियों के चयन में महिलाओं पर विशेष ध्यान दिये जाने एवं अन्य योजनाओं की तरह महिलाओं के नाम पर भूमि होने पर उन्हें योजनांतर्गत अतिरिक्त लाभ/सुविधा देने पर भी विचार किया जा सकता है।

अध्याय एक–पृष्ठभूमि

1.0 सामान्य

सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल मध्यप्रदेश शासन की स्वशासी संस्था है, जिसकी स्थापना वर्ष 2007 में की गई थी। स्कूल एक पंजीकृत संस्था के रूप में कार्य करता है। स्कूल के शासी निकाय एवं कार्यकारी निकाय के अध्यक्ष क्रमशः मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश एवं मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन हैं। स्कूल के मुख्य उद्देश्य सुशासन के क्षेत्र में वैश्विक एवं स्थानीय परिपेक्ष्य में 'थिंक टैंक' के रूप में कार्य करना, सुशासन के विभिन्न आयामों का विश्लेषण करना, समस्याओं को चिन्हित कर उनका समाधान सुझाना, उत्कृष्ट कार्य एवं विधियों तथा 'ई–प्रशासन' के कार्यक्रमों का संकलन एवं विस्तारण, प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सुधार, स्थानीय राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं तथा हितबद्ध समूहों के लिए मंच उपलब्ध कराना तथा शासन की नीतियों एवं कार्यक्रमों का विश्लेषण करना है। इन्ही उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में स्कूल द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा सौंपी गई उनकी महत्वपूर्ण योजना ''सूरजधारा'' के प्रभाव के आंकलन का कार्य किया गया है।

1.1 सूरजधारा योजना का स्वरूप

सूरजधारा योजना वर्ष 1996 से संचालित है। वर्ष 1998–99 तक कृषकों को अलाभकारी (उनके द्वारा दिये गये) बीज के बदले लाभकारी फसलों के उन्नत बीज मात्र एक हेक्टेयर भूमि के लिए प्रदाय किये जाते थे। उन्नत बीजों की समुचित मात्रा में उपलब्धता न होने के कारण क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाईयों को देखते हुए वर्ष 1999–2000 से बीज स्वावलम्बन और बीजोत्पादन कार्यक्रम को भी इस योजना में शामिल किया गया। इस तरह सूरजधारा योजनान्तर्गत तीन तरह के कार्यक्रम– बीज अदला–बदली, बीज स्वावलंबन एवं बीजोत्पादन संचालित हैं। बीज अदला–बदली एवं बीज स्वावलंबन कार्यक्रम प्रदेश के सभी ज़िलों में क्रियान्वित है, जबकि बीज उत्पादन कार्यक्रम चयनित शासकीय प्रक्षेत्रों के 10 कि.मी. की परिधि में ही क्रियान्वित है। यह योजना अनु.जाति एवं अनु.जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए

संचालित है। योजनान्तर्गत लाभकारी दलहन एवं तिलहन फसलों को ही प्रोत्साहित किया जाता है। सूरजधारा योजनान्तर्गत शामिल दलहन एवं तिलहन फसलें निम्नानुसार हैं :–

मौसम	दलहन	तिलहन
खरीफ	अरहर, मूंग, उड़द	सोयाबीन, तिल, रामतिल, अरण्डी, मूंगफली, सूर्यमुखी
रबी	चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, मूंग, उड़द	कुसुम, सरसों, तोरियां, अलसी, अरण्डी, रामतिल, मूंगफली, सूर्यमुखी

1.1.1 बीज अदला–बदली कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमान्त श्रेणी कृषकों को लाभकारी दलहन और तिलहन फसलों के विपुल उत्पादन देने वाली किस्मों के उन्नत प्रमाणित बीज, जो उस क्षेत्र के लिए उपयुक्त/प्रचलित हों, उनके द्वारा दिये गए बीज के विरूद्ध उपलब्ध कराये जाते हैं। प्रमाणित बीज की कमी होने पर फसल विशेष की स्थिति को ध्यान में रखते हुए संचालक कृषि की अनुमति से सत्यरूप बीज भी वितरित किया जा सकता है। कृषक जिस फसल के बीज देता है उसके विरूद्ध उसी फसल के बीज बराबर मात्रा में (अधिकतम एक हेक्टे. की सीमा तक के लिये) उपलब्ध कराये जाते हैं। यदि कृषक अन्य फसल के बीज चाहता है तो उसके द्वारा दिया गया बीज चाही गई फसल के प्रमाणित बीज की वास्तविक कीमत का 25 प्रतिशत मूल्य का होना चाहिए।

सामान्यतः एक कृषक को एक बार ही लाभ देने का प्रावधान है, ताकि अधिक से अधिक कृषकों को योजना का लाभ मिल सके और प्रतिवर्ष नये कृषकों को इसमें शामिल किया जा सके। यदि पुराने कृषक को पुनः बीज दिया जाता है तो उस फसल/किस्म के लिए नहीं दिया जाएगा जो पूर्व के वर्षों में दिया गया था।

1.1.2 बीज स्वावलंबन कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के अंतर्गत अनु. जाति एवं अनु. जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों को उनके द्वारा धारित भूमि के 1/10 रकबे के लिये आधार/प्रमाणित बीज दिये जाते हैं, ताकि अगले वर्ष के लिए कृषक के स्वयं के पास अपने पूरे क्षेत्र के लिए उन्नत किस्म का

बीज उपलब्ध हो सके। कृषक को आधार बीज उपलब्ध कराने पर अगले तीन वर्षों तक तथा प्रमाणित–I, प्रमाणित–II बीज दिये जाने पर क्रमशः अगले दो और एक वर्ष के लिए बीज की आवश्यकता नहीं होगी। एक, दो या तीन वर्ष बाद पुनः बीज उपलब्ध कराया जा सकता है।

अगले वर्ष यदि कृषक अन्य लाभकारी फसल या उपयुक्त नई किस्म लेना चाहता है तो उसके लिए उसे बीज उपलब्ध कराया जा सकता है।

1.1.3 बीजोत्पादन कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के तहत चयनित शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों के दस किलोमीटर की परिधि में अनु.जाति एवं अनु.जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों को लाभकारी दलहनी/तिलहनी फसलों के उन्नत किस्मों के आधार/प्रमाणित–I श्रेणी के बीज उत्पादन हेतु कम से कम 1/2 एकड़ (0.2 हेक्टे.) क्षेत्र के लिए उपलब्ध कराए जाते है। अनुदान की पात्रता अधिकतम 1 हेक्टे. तक होती है। कृषकों को बीज प्रमाणीकरण संस्था में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम अंतर्गत उत्पादित बीज की ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग, स्टाकिंग एवं पैकिंग प्रक्षेत्र पर ही की जाती है। प्रक्षेत्र पर उक्त सुविधा उपलब्ध न होने की दशा में बीज निगम/अन्य संस्थाओं के प्रक्रिया केन्द्र पर कृषकों को सुविधा दी जाती है।

1.2 योजना के उद्देश्य

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों को अलाभकारी फसलों/किस्मों के स्थान पर लाभकारी दलहनी/तिलहनी फसलों के उन्नत एवं विपुल उत्पादन देने वाले बीज उपलब्ध कराकर उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधारना।

1.3 योजना हेतु पात्रता

योजना का लाभ लेने हेतु ऐसा कोई भी लघु एवं सीमान्त कृषक की श्रेणी में आने वाला व्यक्ति पात्र होगा जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग का है।

1.4 योजनान्तर्गत प्राप्त आर्थिक सहायता/अनुदान

बीज अदला–बदली कार्यक्रम अन्तर्गत जितनी राशि का बीज उपलब्ध कराया जाता है, उसमें से मात्र 25 प्रतिशत राशि नगद या बीज के रूप में कृषक से ली जाती है एवं शेष 75 प्रतिशत राशि का अनुदान दिया जाता है, जिसकी अधिकतम सीमा रू0 1500/–निर्धारित है। बीज स्वावलंबन कार्यक्रम में भी 75 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है परन्तु कृषक द्वारा धारित कृषि भूमि के 1/10 रकबे के लिए ही बीज उपलब्ध कराया जाता है। स्वयं का बीज दिये जाने पर बीज का मूल्य चाही गई फसल के प्रमाणित बीज के वास्तविक मूल्य के 25 प्रतिशत मूल्य का होना चाहिए। बीजोत्पादन कार्यक्रम में भी 75 प्रतिशत अनुदान हेतु यही प्रक्रिया अपनाकर 1 हेक्टे. तक के लिए ही बीज प्रदाय किया जाता है एवं स्वयं का बीज देने पर बीज की कीमत समर्थन मूल्य से आंकी जाती है।

अध्याय दो–अध्ययन की कार्यविधि

2.0 पृष्ठभूमि

सूरजधारा योजना यद्यपि वर्ष 1996 से संचालित है परन्तु कुछ परिवर्तित निर्देशों और संशोधनों के साथ वर्ष 1999–2000 से दो नये कार्यक्रम बीज स्वावलंबन और बीजोत्पादन को भी इसमें शामिल किया गया। इस तरह अपने नये स्वरूप में यह कार्यक्रम वर्ष 1999–2000 से संचालित है। कार्यक्रम का मूल उद्देश्य अनु.जाति एवं अनु.जनजाति के लघु एवं सीमान्त कृषकों को उन्नत किस्म के विपुल उत्पादन देने वाले प्रमाणित बीज उपलब्ध कराकर उत्पादन बढ़ाकर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। कार्यक्रम अंतर्गत लाभकारी दलहनी एवं तिलहनी फसलें ही शामिल हैं। कार्यक्रम के अंतर्गत 75 प्रतिशत अनुदान का प्रावधान है। बीज अदला–बदली एवं बीज स्वावलंबन कार्यक्रम पूरे प्रदेश में तथा बीजोत्पादन कार्यक्रम प्रदेश के चयनित कृषि प्रेक्षेत्रों (30 जिलों में 33 प्रक्षेत्र) के 10 कि.मी. के दायरे में संचालित है।

2.1 अध्ययन के उद्देश्य

- बीज अदला–बदली/बीज स्वावलंबन/बीज उत्पादन कार्यक्रम की प्रासंगिकता एवं उपयोगिता।
- लाभार्थियों के भूमि उपयोग में बदलाव का मूल्यांकन करना।
- लाभार्थियों के कृषि उत्पादन में वृद्धि का आंकलन करना।
- सेवाप्रदाय प्रणाली कितनी प्रभावी रही है, इसका अध्ययन एवं प्रदाय प्रणाली में सुधार के लिये कारकों की पहचान करना (यदि कोई हो)

2.2 अध्ययन की रूपरेखा

2.2.1 अध्ययन हेतु जिलों, विकासखंड एवं गॉवों का चयन

अध्ययन हेतु प्रदेश के दो ज़िलों– मण्डला एवं इंदौर का चयन किया गया है। इसमें से एक जिला आदिवासी एवं एक जिला अनुसूचित जाति बाहुल्य है। प्रत्येक जिले से दो विकासखंड रेण्डम आधार पर लिये गए हैं। प्रत्येक विकासखण्ड से 100 हितग्राहियों, इस प्रकार कुल 404 हितग्राहियों का (अध्ययन प्रस्ताव अनुसार 400

हितग्राहियों का अध्ययन किया जाना था) अध्ययन किया गया है। यहॉ ग्रामों की संख्या के स्थान पर हितग्राहियों की संख्या पर केन्द्रण किया गया है। एक विकासखंड के जितने भी गॉवों में 100 हितग्राहियों की संख्या पूरी हुई है, उतने गॉव अध्ययन में शामिल किये गए हैं। इसलिए चयनित गॉवों की संख्या प्रत्येक विकासखंड में अलग–अलग है। इस प्रकार दो जिलों के चार विकासखंडों के 44 ग्रामों में अध्ययन किया गया है। अध्ययन किये गए जिलों/विकासखंडों/ग्रामों की सूची निम्नानुसार हैः–

क्र	जिला	चयनित विकासखंड	चयनित ग्राम
1	इन्दौर	देपालपुर	लिम्बोदपार, सांतेर, गोकलपुर,मेड़कवास, पितावली, करजौदा, अहीरखेड़ी
		सांवेर	धतूरिया, सोलसिन्दा, डकाच्चा, गारी पिपल्या, बरलाई, हतुनिया, राम पिपल्या, ब्राह्मण पिपल्या, टोडि
2	मण्डला	मण्डला	मलारा, खारी, कोटा, सिलगी, लिमरूआ, टिकरवारा, चन्द्रपुरा, ठरका, ग्वारा, प्रेमपुर, नांदिया, बेहंगा, बिछुआ, सांगवा, कोटासांगवा
		नैनपुर	पालासुन्दर, घटेरी, डुंगरिया–बी, डुंगरिया, चिरईडोंगरी, आमाखोह, मलधा, खिरसारू(बी), भालीवाड़ा माल, रमपुरी, मानेगॉव, रमगढ़ी, धमनगॉव

2.2.2 अध्ययन हेतु प्रतिभागी

अध्ययन में शामिल ग्रामों के सूरजधारा योजना के समस्त हितग्राही, जिनके नाम खण्डस्तरीय विभागीय अमले द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची में शामिल हैं, को लिया गया है।

2.2.3 उत्तरदाताओं की संख्या

क्रमांक	उत्तरदाता का प्रकार	संख्या
1.	बीज अदला–बदली	265
2.	बीज स्वावलंबन	139
3.	बीजोत्पादन	–
	योग	**404**

2.2.4 अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण

अध्ययन हेतु मुख्य रूप से दो उपकरणों– प्रश्नावली एवं समूह चर्चा का प्रयोग किया गया है।

2.2.4.1 प्रश्नावली

कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं एवं अध्ययन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रश्नावली का निर्माण किया गया है।

प्रश्नावली में इस तरह के प्रश्न समाहित किए गए हैं, जिनके माध्यम से योजना के बारे में उनकी जागरूकता का स्तर, योजनान्तर्गत प्राप्त सुविधाओं के बारे में उनकी समझ एवं पहुॅच तथा वर्तमान में उपलब्ध सेवाओं के बारे में उनका संतुष्टि स्तर और उन्हें आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों को नापा जा सके। साथ ही योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए उनके सुझाव भी प्राप्त किये जा सकें।

चर (Variables)

अध्ययन में लिये गये मापदंडों का चर वर्गीकरण निम्नानुसार हैः–

मापक चर (Measurable Variables)

इस अध्ययन के लिए गये आँकड़ों में माप चर निम्न हैंः–

- हितग्राहियों की सामाजिक एवं आर्थिक प्रस्थिति।
- हितग्राहियों के पास उपलब्ध सिंचाई संसाधन।

- हितग्राहियों के सूरजधारा योजना क्रियान्वयन के अनुभव।
- हितग्राहियों की जिंदगी में बदलाव विशेषतः आय एवं जागरूकता के संबंध में।
- योजना की पहुँच, प्रभावशीलता, गुणवत्ता ।
- सेवाओं को हासिल करने में बाधायें।

स्वतंत्र चर (Independent Variables)

इस अध्ययन के अंतर्गत स्वतंत्र चर (Independent Variables) निम्नलिखित हैः–

- गाँव
- जिला
- पारिवारिक आय
- शैक्षणिक योग्यता
- लिंग
- बीपीएल/एपीएल
- भूमि

2.2.4.2 समूह चर्चा

अध्ययन अंतर्गत चयनित ज़िलों में ग्रामवासियों से समूह चर्चा भी की गई है जिससे सांख्यिकी आंकड़ों की पुष्टि हो सके।

2.2.5 नमूना परीक्षण एवं प्रश्नावली सुधार

प्रश्नावली को प्रयोग में लाने से पहले हितग्राहियों के साथ इसका पायलट परीक्षण किया जाकर इसकी प्रासंगिकता एवं उपयोगिता परखी गई। पायलेट परीक्षण के निष्कर्षो के आधार पर प्रश्नावली में आवश्यक संशोधन किये गये।

2.2.6 वालिन्टियर्स का प्रशिक्षण

प्रश्नावली के माध्यम से आंकड़ों के संग्रहण के लिए चयनित जिलों के प्रत्येक विकासखण्ड से एक स्थानीय वॉलिन्टियर्स का चयन (न्यूनतम स्नातक), एक माह के लिए मानदेय आधार पर किया गया। इस तरह कुल 04 वॉलिन्टियर अध्ययन हेतु रखे गए, जिनके कार्य का पर्यवेक्षण स्कूल के कोर स्टॉफ (संबंधित अध्ययन दल) द्वारा किया गया। चयनित सभी 04 वॉलिन्टियर्स का प्रशिक्षण कार्यक्रम भोपाल में आयोजित कर उन्हें

''सूरजधारा योजना'' के मुख्य बिन्दुओं पर जानकारी दी गई और प्रश्नावलीं पर विस्तृत रूप से सहभागी चर्चा कर प्रत्येक प्रश्न के औचित्य के बारे में बताया गया। साथ ही सभी वॉलिन्टियर्स को अध्ययन के लिए आँकडों का संग्रहण करने के दौरान उनकी भूमिका और व्यवहार किस तरह का होगा, उनकी नैतिक जिम्मेदारियॉ क्या होंगी, से भी अवगत कराया गया।

2.2.7 आँकड़ों का संग्रहण

इस अध्ययन हेतु हितग्राहियों से कृषि क्षेत्र, कृषि उत्पादन, आय, आदि में वृद्धि जैसे विभिन्न पहलुओं पर संख्यात्मक एवं गुणात्मक जानकारी प्रश्नावली एवं समूह चर्चा के माध्यम से एकत्रित की गई है।

2.2.8 आँकड़ो का परीक्षण एवं संकलन

अध्ययन के दौरान चयनित ग्रामों में प्रश्नावली के माध्यम से एकत्रित किये गये आँकड़ों का संकलन विकासखंडवार एवं जिलेवार किया गया। संकलन के दौरान आंकड़ों को क्रॉस चेक कर विसंगतियों को दूर किया गया है।

2.2.9 आँकड़ो का विश्लेषण

आँकड़ों का विश्लेषण आवृत्ति, प्रतिशत एवं औसत के आधार पर एम.एस.एक्सल सॉफ्टवेयर की मदद से किया गया है।

2.3 निष्कर्ष एवं सुझाव

प्रश्नावली/समूह चर्चा से प्राप्त ऑकड़ों के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर तथा साक्षात्कार एवं प्रश्नावली भरने के दौरान हुए अनुभवों के आधार पर योजना के क्रियान्वयन की स्थिति एवं सेवाप्रदाय प्रणाली की प्रभावशीलता के संबंध में सुझाव दिये गये है।

अध्याय तीन–आँकड़ों का विश्लेषण

3.0 उत्तरदाताओं की प्रस्थिति (Profile of Repondents)

अध्ययन हेतु सूरजधारा योजना का लाभ लेने वाले हितग्राहियों के लिए प्रश्नावली तैयार की गई थी। अध्ययन में शामिल उत्तरदाताओं की संख्या निम्नानुसार है–

क्रमांक	उत्तरदाता का प्रकार	संख्या
1.	बीज अदला–बदली	265
2.	बीज स्वावलंबन	139
3.	बीजोत्पादन	–
	योग	**404**

3.1 उत्तरदाताओं की सामाजिक प्रस्थिति

3.1.1 जातिवार स्थिति (संदर्भ – अध्याय पांच तालिका: 5.1.1)

बार चित्रण क्रमांक –3.1.1 हितग्राहियों की जातिवार स्थिति

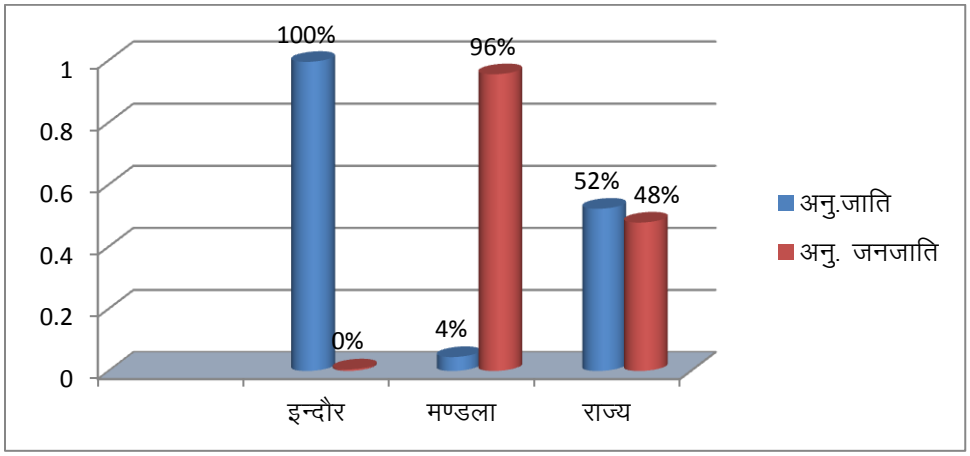

प्रस्तुत बार चित्रण में हितग्राहियों का जातिवार वर्गीकरण दर्शाया गया है। योजना के प्रावधान अनुसार आदिवासी बाहुल्य होने के कारण मण्डला जिले में अनु.जनजाति एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य होने के कारण इन्दौर ज़िले में अनु.जाति के कृषकों का चयन किया गया है।

3.1.2 लिंगवार स्थिति (संदर्भ – अध्याय पांच तालिका: 5.1.2)

प्रस्तुत बार चित्रण में हितग्राहियों का लिंगवार वर्गीकरण दर्शाया गया है। हितग्राहियों के लिंगवार वर्गीकरण अनुसार 18 प्रतिशत महिलाएँ और 82 प्रतिशत पुरूष हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों ही ज़िलों में यह स्थिति लगभग एक जैसी ही है।

बार चित्रण क्रमांक –3.1.2 हितग्राहियों की लिंगवार स्थिति

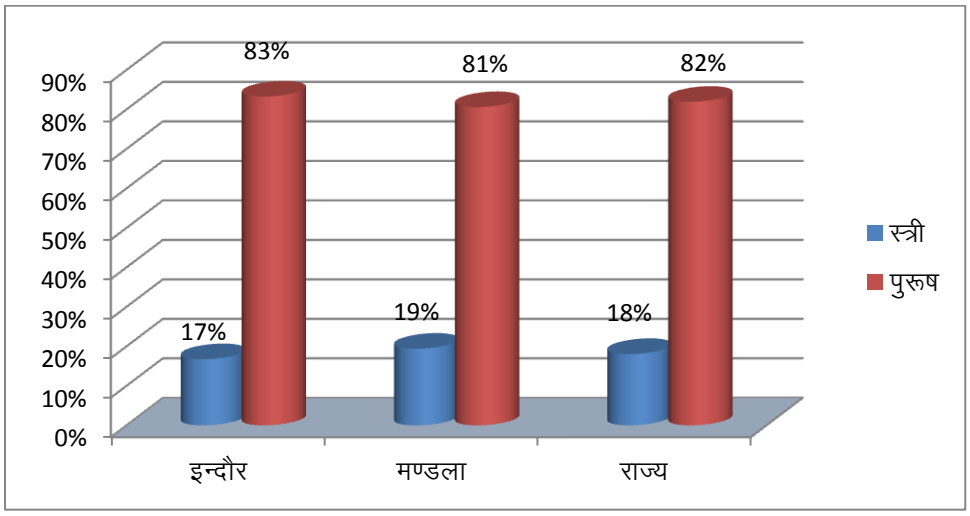

3.1.3 शैक्षणिक स्थिति (संदर्भ – अध्याय पांच तालिका: 5.1.3)

बार चित्रण क्रमांक –3.1.3 हितग्राहियों की शैक्षणिक स्थिति

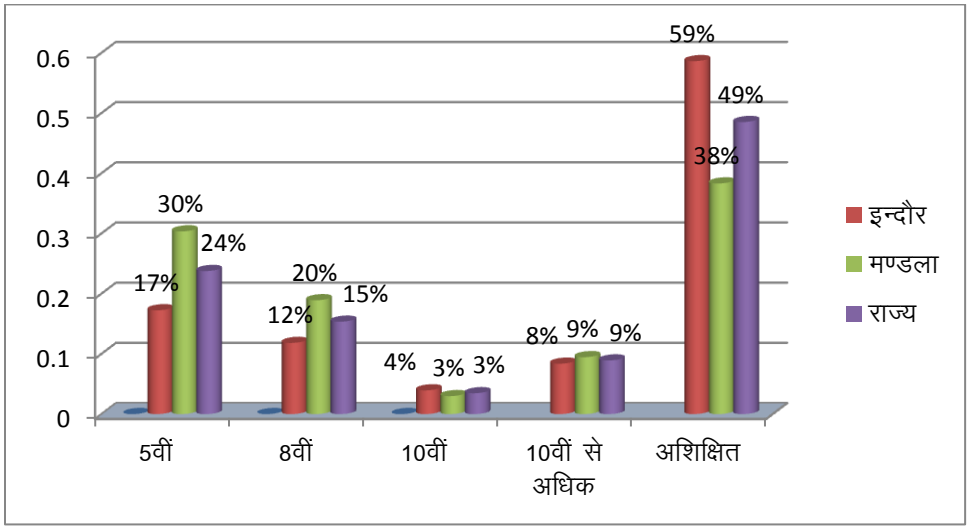

प्रस्तुत बार चित्रण में हितग्राहियों के शैक्षणिक स्तर को दर्शाया गया है। हितग्राहियों में 49 प्रतिशत अशिक्षित एवं 24 प्रतिशत पॉचवीं पास हैं। मात्र 9 प्रतिशत 10वीं से अधिक पढ़े हैं एवं शेष 8वीं और दसवीं स्तर के हैं।

3.2 उत्तरदाताओं की आर्थिक प्रस्थिति

3.2.1 आर्थिक श्रेणीवार स्थिति (संदर्भ – अध्याय पांच तालिका: 5.2.1)

बार चित्रण क्रमांक –3.2.1 हितग्राहियों की आर्थिक श्रेणीवार स्थिति

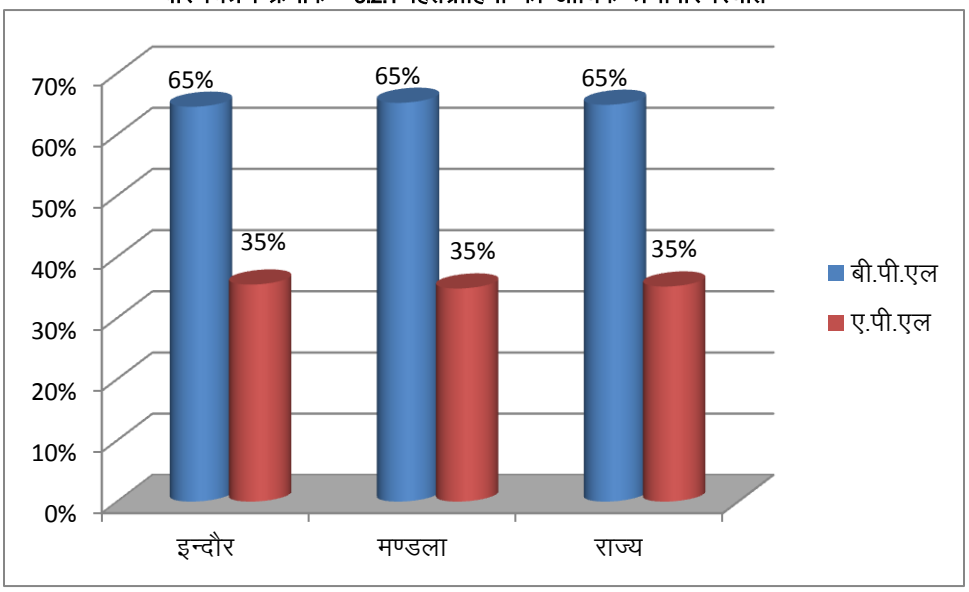

प्रस्तुत बार चित्रण हितग्राहियों के आर्थिक श्रेणीवार स्तर को प्रदर्शित करता है। हितग्राहियों में गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल कार्ड धारक) के परिवारों का प्रतिशत 65 है जो कि एपीएल परिवारों (35 प्रतिशत) की तुलना में ज्यादा है।

3.2.2 आय का मुख्य स्त्रोत (संदर्भ – अध्याय पांच तालिका: 5.2.2)

प्रस्तुत बार चित्रण हितग्राहियों की आय के मुख्य स्त्रोत को दर्शाता है। विश्लेषण अनुसार 70 प्रतिशत हितग्राहियों की आय का प्रमुख स्त्रोत खेती एवं 25 प्रतिशत का मजदूरी है। नौकरी एवं स्वरोजगार वाले हितग्राहियों का प्रतिशत 5 है। मण्डला जिले में 93 प्रतिशत हितग्राहियों की आय का मुख्य स्त्रोत खेती है।

बार चित्रण क्रमांक –3.2.2 हितग्राहियों की आय का मुख्य स्त्रोत

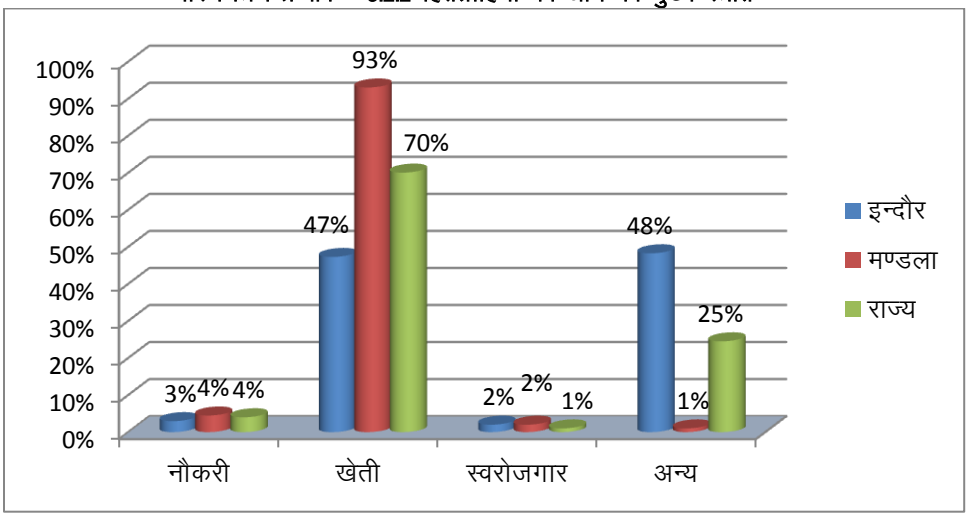

3.2.3 कृषक श्रेणी वर्गीकरण (संदर्भ – अध्याय पांच तालिका: 5.2.3)

प्रस्तुत बार चित्रण में लाभार्थी कृषकों की श्रेणी को दर्शाया गया है। हितग्राहियों में 77 प्रतिशत कृषक सीमान्त श्रेणी के एवं 21 प्रतिशत कृषक लघु श्रेणी के एवं 2 प्रतिशत भूमिहीन हैं। इंदौर जिले में सीमान्त कृषकों का प्रतिशत मण्डला जिले की अपेक्षा अधिक है।

बार चित्रण क्रमांक –3.2.3 हितग्राहियों का कृषण श्रेणी वर्गीकरण

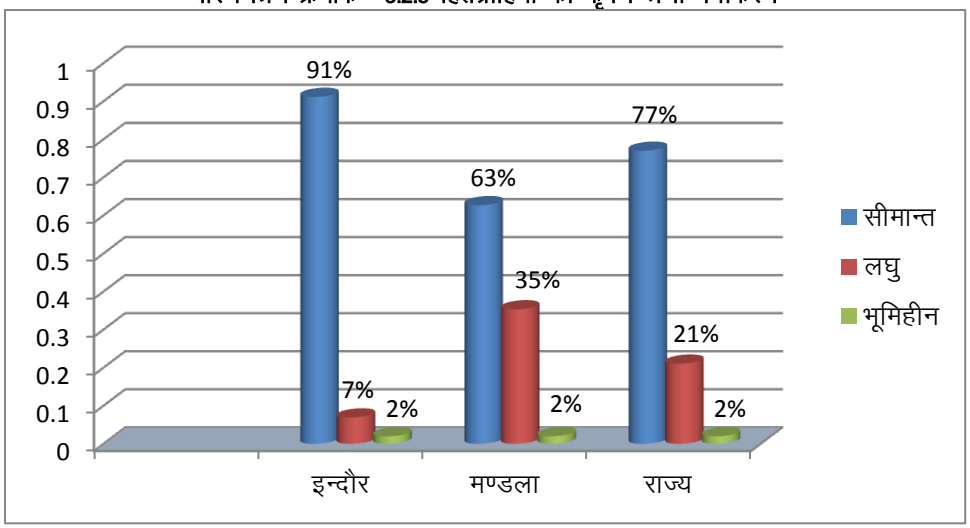

3.2.4 किसान क्रेडिट कार्ड की स्थिति (संदर्भ – अध्याय पांच तालिका: 5.2.4)

बार चित्रण क्रमांक –3.2.4 किसान क्रेडिट कार्ड की स्थिति

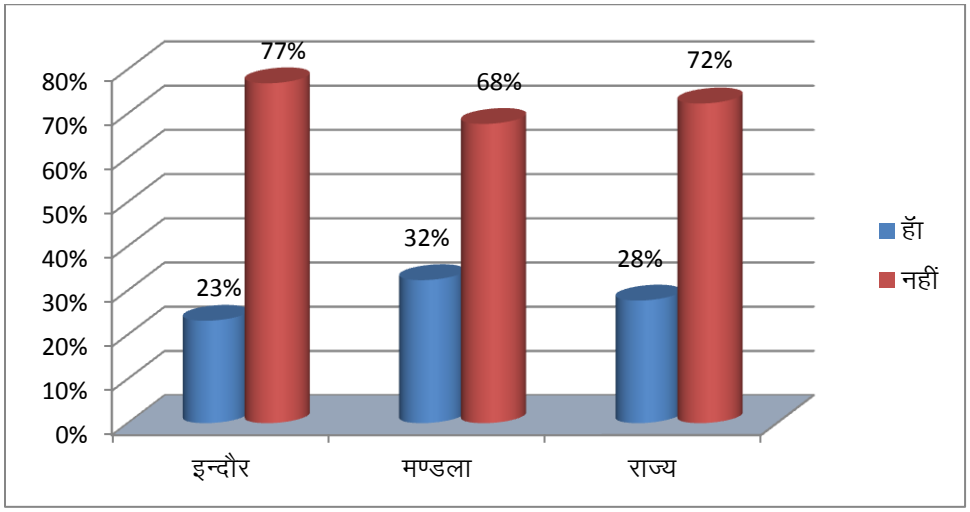

इस बार चित्रण में किसानों के पास क्रेडिट कार्ड की उपलब्धता को दर्शाया गया है। मात्र 28 प्रतिशत हितग्राहियों के पास किसान क्रेडिट कार्ड हैं, शेष 72 प्रतिशत लाभार्थी कृषकों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं हैं।

3.2.5 सिंचाई साधनों के उपलब्धता की स्थिति (संदर्भ – अध्याय पांच तालिका: 5.2.5)

बार चित्रण क्रमांक –3.2.5 सिंचाई साधनों की उपलब्धता की स्थिति

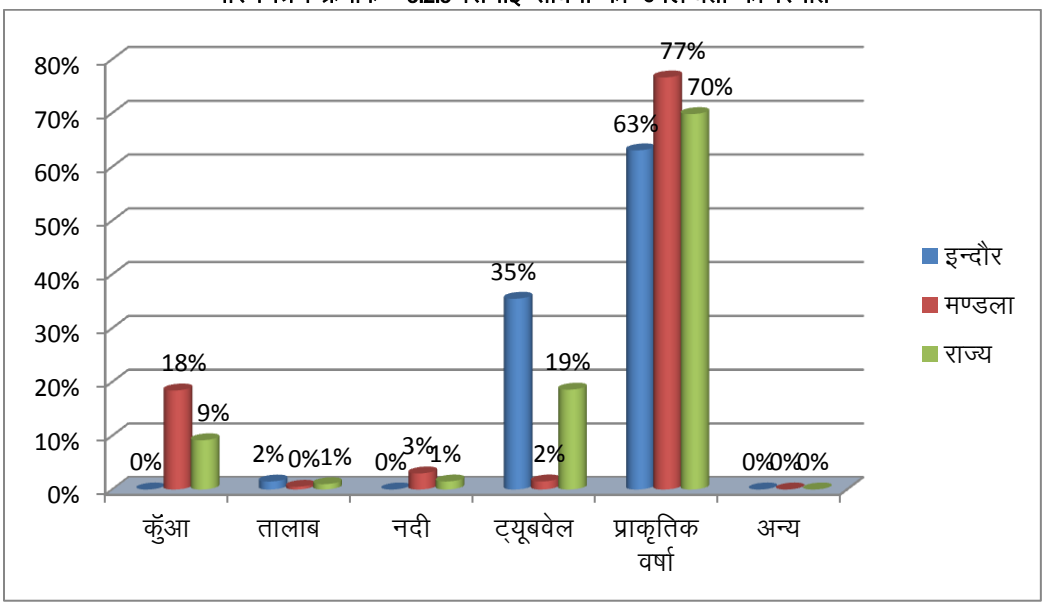

प्रस्तुत बार चित्रण हितग्राहियों के पास उपलब्ध सिंचाई के साधनों को प्रदर्शित करता है। इसके विश्लेषण से स्पष्ट है कि 70 प्रतिशत लाभार्थी कृषि हेतु प्राकृतिक वर्षा पर निर्भर हैं एवं 30 प्रतिशत के पास ही सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं।

3.3 योजना के प्रति जागरूकता का स्तर

3.3.1 योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्त्रोत (बहुविकल्पीय) (संदर्भ – अध्याय पांच तालिका : 5.3.1)

बार चित्रण क्रमांक –3.3.1 योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्त्रोत

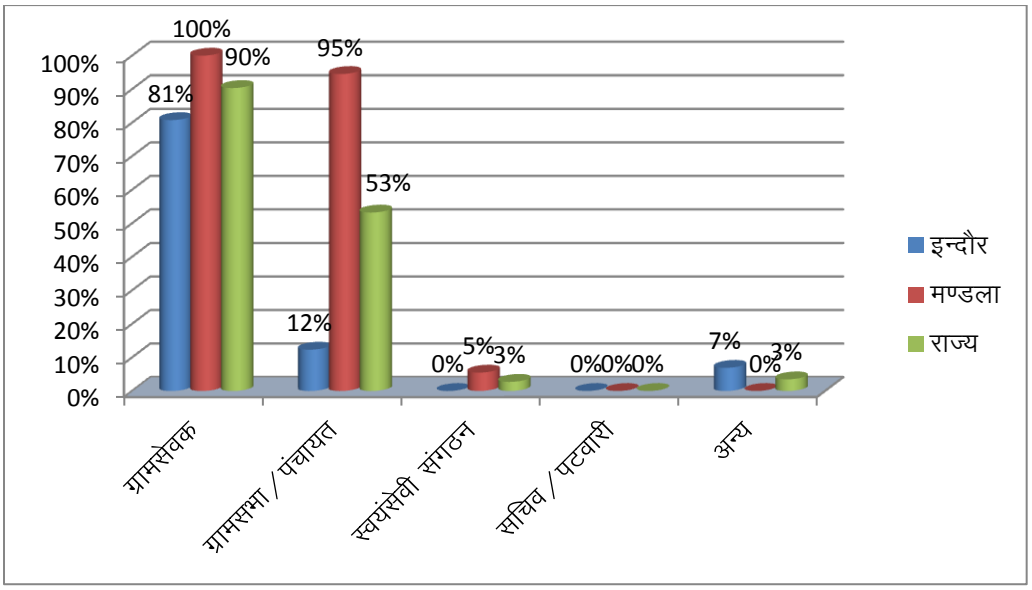

प्रस्तुत बार चित्रण से ज्ञात होता है कि हितग्राहियों को योजना की जानकारी प्राप्त करने के मुख्य स्त्रोत ग्रामसेवक (90 प्रतिशत) एवं ग्राम सभा/ग्राम पंचायत (53 प्रतिशत) हैं। इससे स्पष्ट है कि ग्राम सेवक द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन अच्छे तरीके से किया गया है।

3.3.2 योजना की प्रकियाओं की जानकारी का स्तर (संदर्भ – अध्याय पांच तालिका: 5.3.2)

प्रस्तुत चित्रण प्रदर्शित करता है कि कितने हितग्राहियों को योजना से संबंधित प्रकियाओं की जानकारी है। विश्लेषण अनुसार मात्र 7 प्रतिशत लाभार्थी ही योजना की

प्रक्रियाओं से भिज्ञ हैं, जबकि शेष 93 प्रतिशत हितग्राहियों को प्रक्रियाओं की जानकारी नहीं है।

बार चित्रण क्रमांक –3.3.2 योजना की प्रक्रियाओं की जानकारी का स्तर

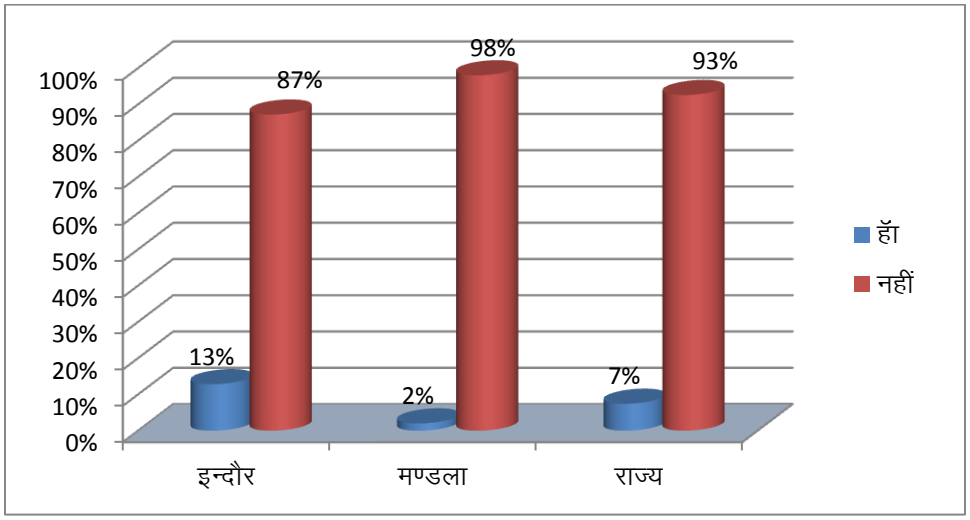

3.4 योजना के क्रियान्वयन की स्थिति

3.4.1 हितग्राहियों के चयन में ग्रामवासियों से सलाह–मशविरा लिया जाना (संदर्भ – अध्याय पांच तालिका: 5.4.1)

बार चित्रण क्रमांक –3.4.1 हितग्राहियों के चयन में ग्रामवासियों से सलाह–मशविरा लिया जाना

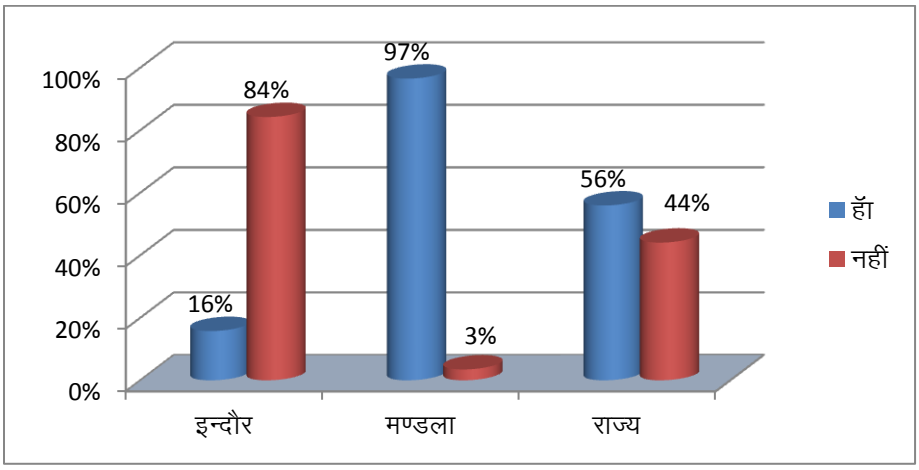

प्रस्तुत बार चित्रण योजना के लिए हितग्राही चयन में ग्रामवासियों से सलाह–मशविरा की स्थिति को प्रदर्शित करता है। 56 प्रतिशत हितग्राही ने बताया कि ग्रामवासियों से सलाह मशविरा लिया जाता है, जबकि 44 प्रतिशत ने कहा कि

ग्रामवासियों से कोई सलाह मशविरा नहीं किया जाता। मण्डला जिले में 97 प्रतिशत हितग्राहियों ने बताया कि ग्रामवासियों से सलाह ली जाती है, जबकि इन्दौर के मात्र 16 प्रतिशत हितग्राहियों का कहना था कि ग्रामवासियों से सलाह ली गई है।

3.4.2 योजना के प्रचार–प्रसार में ग्रामवासियों से सहयोग लिये जाने की स्थिति (संदर्भ – अध्याय पांच तालिकाः 5.4.2)

प्रस्तुत बार चित्रण योजना के प्रचार–प्रसार में ग्रामीणों से सहयोग लिये जाने की स्थिति को प्रदर्शित करता है। विश्लेषण अनुसार 66 प्रतिशत उत्तरदाताओं के जवाब नकारात्मक थे। मात्र 34 प्रतिशत हितग्राहियों ने ही कहा है, कि ग्रामीणों से सहयोग लिया जाता है। जिलेवार स्थिति देखने पर मण्डला में 78 प्रतिशत एवं इन्दौर के 54 प्रतिशत उत्तरदाताओं के जवाब नहीं में हैं।

बार चित्रण क्रमांक –3.4.2 योजना के प्रचार प्रसार में ग्रामवायिों से सहयोग लिये जाने की स्थिति

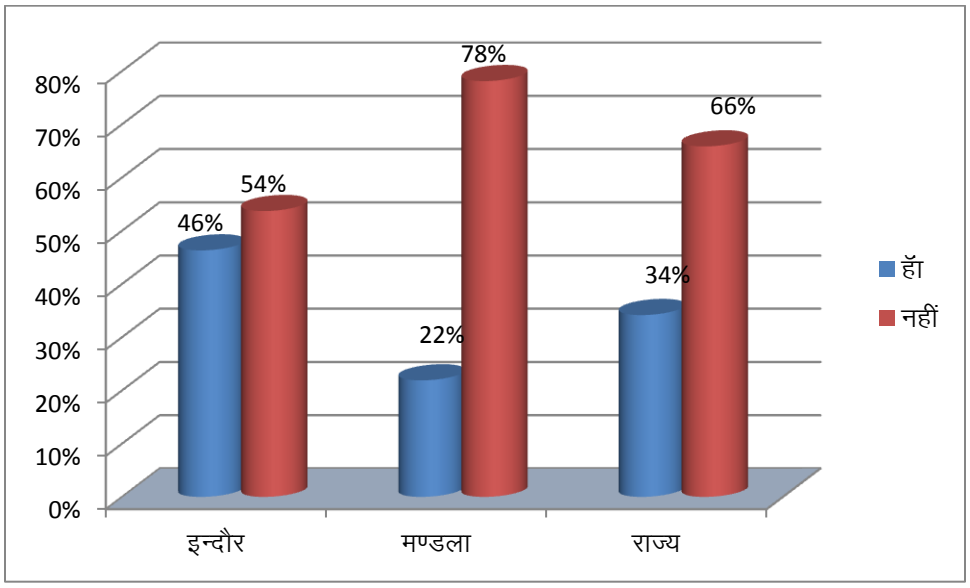

3.4.3 कार्यक्रम के कियान्वयन में विभागीय अमले (ग्रामीण कृविअ./वरि.कृविअ).द्वारा ग्रामवासियों से सहयोग लेने की स्थिति (संदर्भ–अध्याय पांच तालिकाः 5.4.3)

प्रस्तुत बार चित्रण में योजना के कियान्वयन में विभागीय अमले द्वारा ग्रामवासियों से सहयोग लिये जाने की स्थिति को दर्शाया गया है। 61 प्रतिशत

उत्तरदाताओं द्वारा बताया गया कि ग्राम वासियों से सहयोग लिया जाता है, जबकि 39 प्रतिशत का जवाब नहीं में है। इन्दौर जिले के 67 प्रतिशत उत्तरदाताओं द्वारा बताया गया कि ग्रामवासियों से किसी तरह का भी सहयोग नहीं लिया जाता, जबकि मण्डला में स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है एवं 91 प्रतिशत के जवाब सकारात्मक हैं।

बार चित्रण क्रमांक –3.4.3 योजना के क्रियान्वयन में विभागीय अमले द्वारा ग्राम वासियों से सहयोग लिये जाने की स्थिति

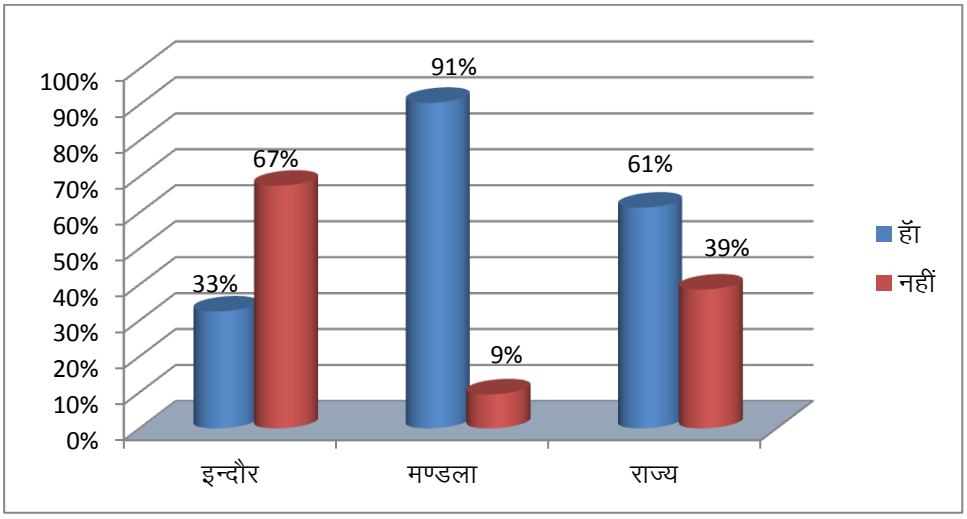

3.4.4 योजनान्तर्गत विभिन्न घटकों में लाभ लेने की आवृत्ति (संदर्भ – अध्याय पांच तालिका:5.4.4)

योजनान्तर्गत शामिल तीन घटकों में से मात्र दो घटकों के लाभार्थी ही अध्ययन में शामिल हैं, क्योंकि इन्दौर ज़िला बीजोत्पादन के चयनित प्रक्षेत्र में नहीं आता है एवं मंडला ज़िले में बीजोत्पादन के लाभार्थी अध्यनित गॉवों में उपलब्ध नहीं थे। इन दो घटकों के हितग्राहियों के लाभ लेने की आवृत्ति में भी जिलेवार बहुत ज्यादा अंतर है। मण्डला जिले में दोनों घटकों में एक बार लाभ लेने की आवृत्ति 90 प्रतिशत से अधिक है वहीं इन्दौर जिले में दोनों घटकों में एक बार लाभ लेने की आवृत्ति लगभग 42 प्रतिशत है। इन्दौर जिले में बीज अदला–बदली एवं स्वावलंबन कार्यक्रम अन्तर्गत हितग्राहियों के लाभ लेने की आवृत्ति क्रमशः 12 एवं 8 बार तक गई है, वहीं दूसरी ओर मंडला जिले में दोनों घटकों में यह आवृत्ति दो बार तक ही सीमित है। दोनों

घटकों में 30 प्रतिशत से अधिक हितग्राहियों द्वारा एक बार से अधिक लाभ लिया गया है, वह भी एक ही फसल के लिए। यह स्थिति योजना की भावना के विपरीत है।

बार चित्रण क्रमांक –3.4.4 योजना अंतर्गत विभिन्न घटको में लाभ लेने की आवृत्ति

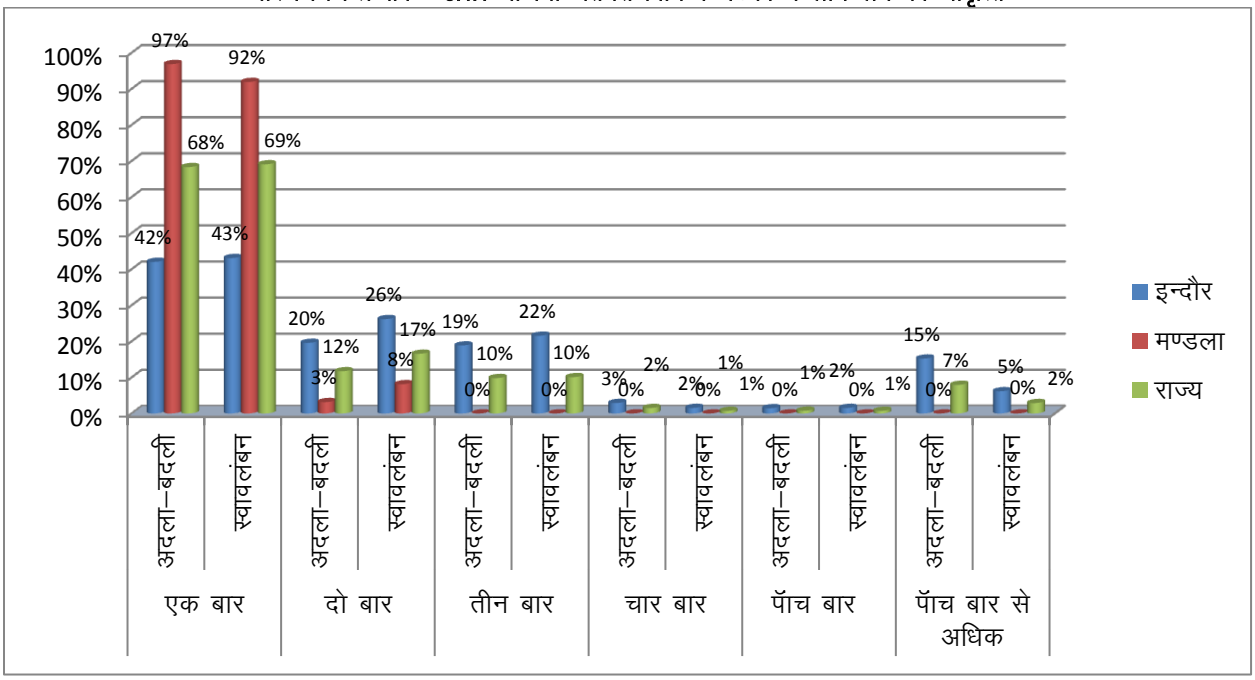

3.4.5 योजना के अलावा विभाग द्वारा बीज, उर्वरक आदि संसाधनों के उपयोग की जानकारी दिये जाने की स्थिति (संदर्भ – अध्याय पांच तालिका: 5.4.5)

बार चित्रण क्रमांक –3.4.5 योजना के अलावा विभाग द्वारा बीज, उर्वरक आदि संसाधनो के उपयोग की जानकारी दिये जाने की स्थिति

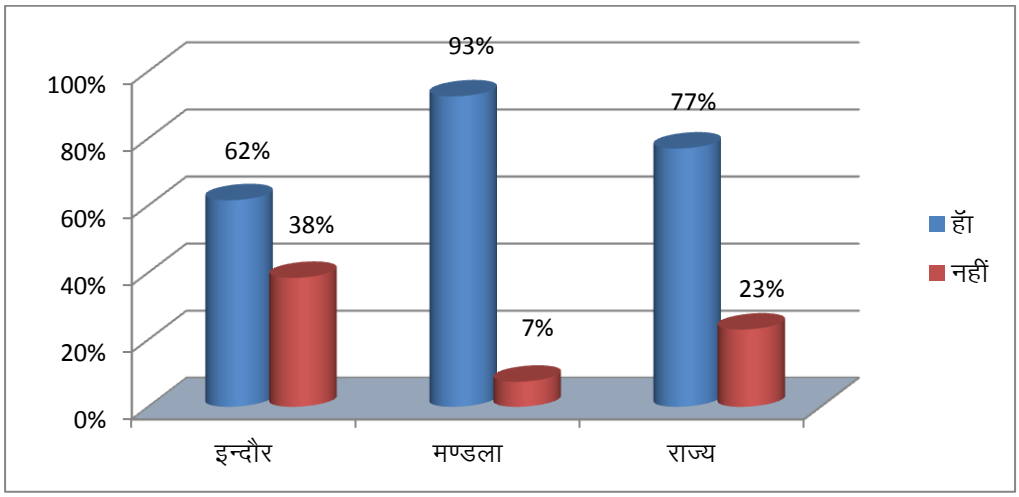

प्रस्तुत बार चित्रण में विभाग द्वारा हितग्राहियों को बीज, उर्वरक आदि संसाधनों के बारे में जानकारी देने के स्तर को दर्शाया गया है। विश्लेषण अनुसार 77

प्रतिशत लभार्थियों द्वारा बताया गया कि उन्हें विभागीय अमले द्वारा बीज, उर्वरक आदि संसाधनों के बारे में जानकारी दी गई है। यह प्रतिशत मण्डला जिले में इन्दौर की अपेक्षा अधिक है।

3.4.6 योजना कियान्वयन में ग्रामसेवक की भूमिका से संतुष्टि का स्तर (संदर्भ – अध्याय पांच तालिका: 5.4.6)

प्रस्तुत बार चित्र द्वारा योजना के कियान्वयन में ग्रामसेवक की भूमिका से हितग्राहियों की संतुष्टि के स्तर को मापा गया है। विश्लेषण अनुसार 91 प्रतिशत लाभार्थी ग्राम सेवक की भूमिका/सेवाओं से संतुष्ट हैं, मात्र 9 प्रतिशत ने ही ग्रामसेवक की भूमिका से असंतुष्टि व्यक्त की है।

बार चित्रण क्रमांक –3.4.6 योजना कियान्वयन में ग्रामसेवक की भूमिका से संतुष्टि का स्तर

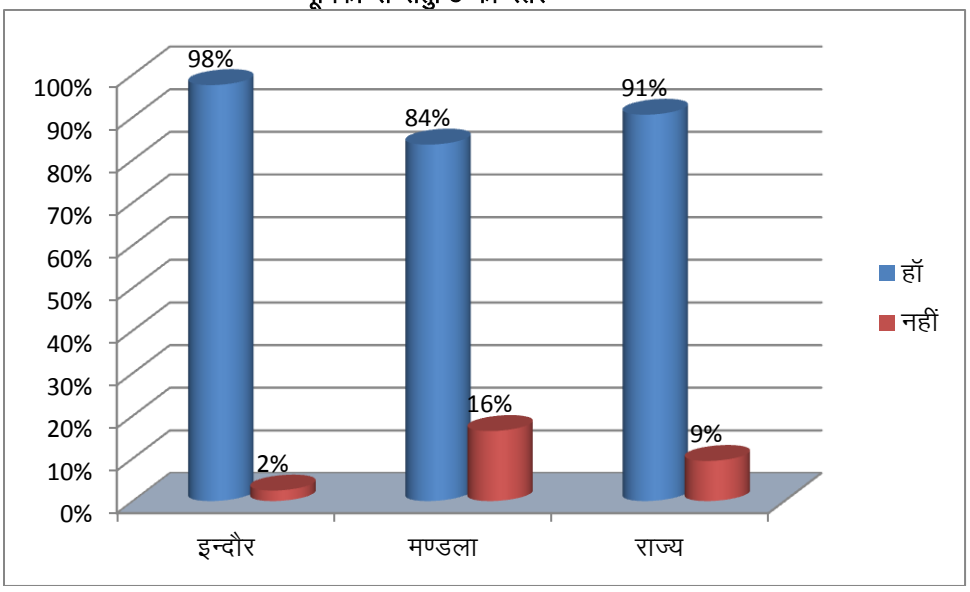

3.5 योजना की प्रभावशीलता

3.5.1 योजना में शामिल होने के पश्चात् पैदावार में अंतर की स्थिति (संदर्भ – अध्याय पांच तालिका: 5.5.1)

प्रस्तुत बार चित्रण में योजना का लाभ लेने के उपरान्त फसल की पैदावार में आए अन्तर को प्रदर्शित किया गया है। अध्ययन अनुसार 66 प्रतिशत हितग्राहियों की पैदावार बढ़ी है, 28 प्रतिशत हितग्राहियों की पैदावार में कोई अन्तर नहीं आया है। हितग्राहियों

से चर्चा में यह बात विशेष रूप से उभरकर सामने आई है, कि मात्र योजनान्तर्गत बीज उपलब्ध कराने से ही पैदावार नहीं बढ़ी है, बल्कि बीज के साथ अच्छे उर्वरक और कीटनाशक के उपयोग के पश्चात् ही पैदावार बढ़ी है। पैदावार बढ़ने का प्रभाव इन्दौर की अपेक्षा मण्डला जिले में ज्यादा दृष्टिगोचर हुआ है।

बार चित्रण क्रमांक –3.5.1 योजना में शामिल होने के पश्चात् पैदावार में अंतर की स्थिति

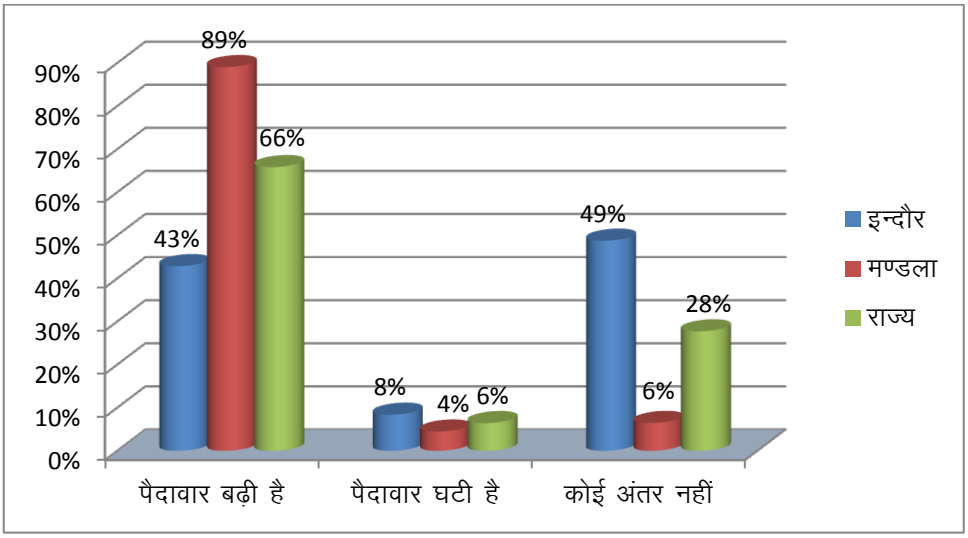

3.5.2 योजना उपरान्त भूमि में आए बदलाव की स्थिति (संदर्भ – अध्याय पांच तालिका: 5.5.2)

बार चित्रण क्रमांक –3.5.2 योजना उपरांत भूमि में आए बदलाव की स्थिति

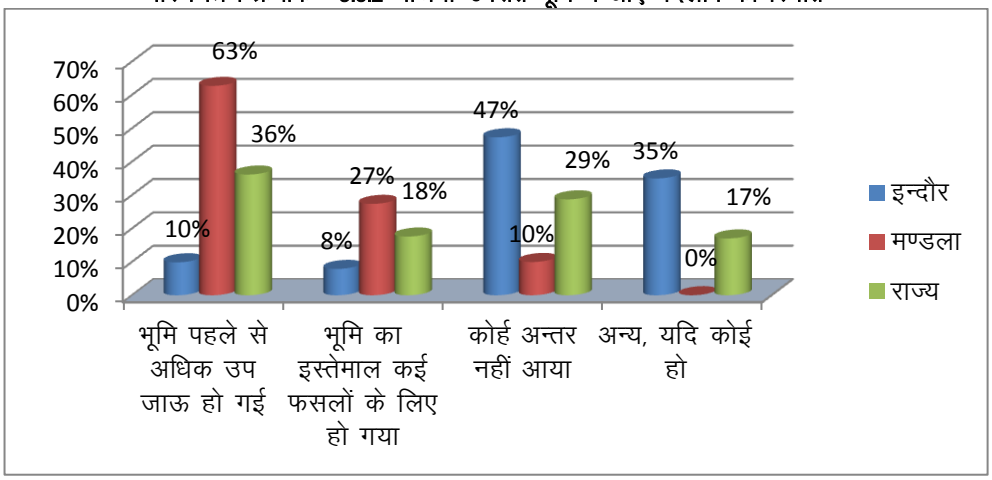

प्रस्तुत बार चित्रण में योजना उपरान्त हितग्राहियों की भूमि में आए बदलाव को प्रदर्शित किया गया है। विश्लेषण अनुसार 36 प्रतिशत हितग्राहियों द्वारा बताया

गया है कि योजना उपरान्त उनकी भूमि पहले से अधिक उपजाऊ हो गई है, 18 प्रतिशत हितग्राहियों द्वारा बताया गया कि उनकी भूमि का उपयोग कई फसलों के लिए हो गया है। इस प्रकार योजना का उद्देश्य काफी हद तक पूरा हुआ है। शेष 29 प्रतिशत हितग्राहियों द्वारा भूमि में कोई अन्तर महसूस नहीं किया गया हैं।

3.6 सूरजधारा योजना क्रियान्वयन के कमज़ोर पहलू

अध्ययन के माध्यम से योजना क्रियान्वयन सबंधित कुछ कमज़ोर पहलू उभरकर आये हैं, जो मुख्यरूप से निम्नानुसार हैंः–

- हितग्राहियों को योजना की संपूर्ण जानकारी न होना।
- समय पर बीज उपलब्ध न होना।
- अच्छी क्वालिटी/प्रमाणित बीज न मिलना, जो बीज मिलता है उसका भूसा जानवर नहीं खाते।
- जरूरतमंद को बीज न मिलना एवं पहचान वालों को आसानी से मिल जाना।
- एक ही फसल का बीज बार–बार मिलना।
- देखभाल और परिश्रम की अधिक आवश्यकता होना।
- प्रशिक्षण न मिलना एवं सही समय पर सूचना न दिया जाना।

3.7 सूरजधारा योजना के क्रियान्वयन में सुधार हेतु सुझाव

अध्ययन के माध्यम से योजना के क्रियान्वयन को और अधिक प्रभावी और वेहतर बनाने हेतु हितग्राहियों से सुझाव लिये गये थे, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण सुझाव निम्नानुसार हैंः–

- योजना से सबंधित जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया जाए।
- बोनी से पर्याप्त समय पूर्व बीज उपलब्ध कराया जाए।
- अच्छी क्वालिटी (जैसे सोयाबीन–NRC –7) का उन्नत एवं प्रमाणित बीज दिया जाए।
- बदल–बदलकर बीज दिया जाए (हर बार एक ही बीज नहीं मिले) ।
- बीज की मात्रानुसार कीटनाशक एवं खाद भी अनुदान पर मिलना चाहिए।

अध्याय चार–निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

निष्कर्ष

4.1 योजना के प्रति जागरूकता का स्तर

- हितग्राहियों को योजना की जानकारी प्राप्त करने के मुख्य स्त्रोत ग्राम सेवक एवं ग्राम सभा/ग्राम पंचायत है। इससे प्रतीत होता है कि ग्राम सेवक द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन अच्छे तरीके से किया गया है।
- 93 प्रतिशत हितग्राहियों का योजना की प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ होना एक कमज़ोर पहलू है। अधिकांश हितग्राहियों को योजना के नाम एवं इसके उद्देश्य की भी जानकारी नहीं है।

4.2 सूरजधारा योजना के क्रियान्वयन की स्थिति

4.2.1 हितग्राहियों का चयन

- हितग्राहियों के चयन में योजना के प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों को प्राथमिकता दी जाना, हितग्राहियों में बीपीएल का प्रतिशत अधिक (65 प्रतिशत) होना, 75 प्रतिशत से अधिक हितग्राहियों का सीमान्त श्रेणी का कृषक होना एवं 70 प्रतिशत हितग्राहियों की आय का मुख्य स्त्रोत खेती होना इस बात की पुष्टि करते हैं।
- हितग्राहियों के चयन में ग्रामवासियों से सलाह–मशविरा एवं सहयोग की स्थिति जिलेवार भिन्न–भिन्न है। इन्दौर जिले में जहॉ एक ओर अधिकांश हितग्राहियों (84 प्रतिशत) द्वारा सलाह–मशविरा नहीं लिये जाने की बात कही है, वहीं दूसरी ओर मंडला जिले में लगभग शतप्रतिशत (97 प्रतिशत) हितग्राहियों द्वारा चयन प्रक्रिया में सहभागिता को स्वीकारा गया है। यदि ग्रामवासियों से सलाह–मशविरा एवं सहयोग लेकर हितग्राही चयन किया जाए तो सभी जरूरतमंद लोगों तक योजना का लाभ पहुॅच सकेगा।

- इन्दौर जिले में हितग्राही चयन में योजना के एक महत्वपूर्ण प्रावधान को नज़रअंदाज किया गया है। बीज अदला–बदली एवं बीज स्वावलंबन कार्यक्रम अंतर्गत 50 प्रतिशत से अधिक हितग्राहियों को एक ही फसल के बीज के लिए एक बार से अधिक लाभ दिया गया है, जबकि यह लाभ यदि उसी लाभार्थी को पुनः दिया जाना है तो किसी दूसरी फसल के लिये दिया जाना चाहिए। विश्लेषण अनुसार योजना के उपरोक्त दोनों घटकों के लिए 23 प्रतिशत हितग्राहियों को दो बार 21 प्रतिशत हितग्राहियों को तीन बार एवं शेष लगभग 10 प्रतिशत लाभाथियों को तीन बार से भी अधिक बार लाभ दिया गया है।
- हितग्राहियों में 80 प्रतिशत से अधिक पुरूष हैं, जो यह साबित करता है कि अभी भी ज़मीन–जायदाद आदि पर पुरूष वर्ग का ही स्वामित्व है।
- हितग्राहियों में लगभग 50 प्रतिशत अशिक्षित हैं।
- 70 प्रतिशत से अधिक हितग्राहियों के पास किसान केडिट कार्ड नहीं है।

4.2.2 जानकारी प्राप्त करने का स्त्रोत

हितग्राहियों को योजना की जानकारी प्राप्त होने के मुख्य स्त्रोत ग्राम सेवक तथा ग्राम सभा/ग्राम पंचायत रहे हैं, जो स्पष्ट करता है, कि ग्राम सेवक द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन ज़िम्मेदारी से किया गया है।

4.2.3 योजना के प्रचार–प्रसार में ग्रामवासियों की सहभागिता

अधिकांश हितग्राहियों (66 प्रतिशत) का मत है कि योजना के प्रचार–प्रसार हेतु उनसे किसी तरह का सहयोग नहीं लिया गया है। यद्यपि यह स्थिति जिलेवार अलग–अलग है। इन्दौर जिले में ग्रामीणों से सहयोग लिये जाने की स्थिति मण्डला जिले की तुलना में बेहतर है।

4.3 योजना की प्रभावशीलता

- यद्यपि योजना के प्रभाव के विश्लेषण में 66 प्रतिशत हितग्राहियों द्वारा पैदावार में बढ़ोत्तरी को स्वीकारा गया है, परन्तु उनका कथन है कि यह बढ़ोत्तरी योजनान्तर्गत प्रदाय बीज

का परिणाम मात्र नहीं है, बल्कि इसमें अच्छे एवं ज्यादा मात्रा में उर्वरक और कीटनाशक के उपयोग का भी महत्वपूर्ण योगदान है। अतः पैदावार में बढ़ोत्तरी को मात्र योजना का परिणाम नहीं माना जा सकता।

- विश्लेषण अनुसार 36 प्रतिशत हितग्राहियों द्वारा बताया गया है कि उनकी भूमि पहले से अधिक उपजाऊ हो गई है एवं 18 प्रतिशत हितग्राहियों द्वारा स्वीकार किया गया है, कि अब वे भूमि का उपयोग कई फसलों के लिए करने लगे हैं। भूमि के उर्वरा शक्ति में बदलाव की स्थिति जिलेवार भिन्न–भिन्न निकलकर आई है। मण्डला जिले में जहॉ एक ओर 63 प्रतिशत हितग्राहियों द्वारा भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ने की बात स्वीकारी है, वहीं इन्दौर जिले में मात्र 10 प्रतिशत हितग्राहियों द्वारा इस तथ्य को स्वीकारा है। संभवतः इन्दौर जिले में प्राकृतिक कारणों से उर्वरा शक्ति बढ़ने के परिणाम परिलक्षित नहीं हुए हैं।
- 91 प्रतिशत लाभार्थी ग्राम सेवक की भूमिका से संतुष्ट हैं। जो कि ग्राम सेवक द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन ज़िम्मेदारी से करने का द्योतक है।

अनुशंसाएं

4.4 योजना का प्रचार–प्रसार

योजना के प्रचार प्रसार के लिए विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता है, जिससे कि लाभार्थी योजना के उद्देश्य एवं प्रक्रियाओं से भली–भॉति परिचित हो सकें। योजना के प्रचार–प्रसार एवं हितग्राहियो के चयन में ग्रामवासियों की सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

4.5 हितग्राहियों का चयन

वर्तमान में ग्रामसेवक द्वारा तैयार की गई हितग्राहियों की सूची सिर्फ उस मौसम विशेष के लिए मान्य होती है। इस सूची को मौसम के स्थान पर साल भर के लिए मान्य किया जा सकता है जिससे हितग्राहियों का प्रशिक्षण उक्त फसल विशेष के सीज़न के पूर्व हो सके एवं एक ही लाभार्थी को बार–बार लाभ मिलने की स्थिति निर्मित न हो (जैसी की इंदौर जिले में निर्मित हुई है)।

4.6 प्रशिक्षण

चयनित हितग्राहियों को योजना के बारे में कम से कम एक दिवस का प्रशिक्षण अवश्य दिया जाना चाहिए, जिससे योजना के उद्देश्यों एवं प्रक्रिया के बारे में उन्हें संपूर्ण जानकारी हो सके।

4.7 किसान क्रेडिट कार्ड

अध्ययन में यह बात उभरकर सामने आई है कि योजनान्तर्गत प्रदाय उन्नत एवं प्रमाणित बीजों के लिए ज्यादा मात्रा में उर्वरक और कीटनाशक का इस्तेमाल करना पड़ता है। योजना के अधिकांश लाभार्थी बीपीएल श्रेणी (65 प्रतिशत) एवं सीमान्त कृषक (77 प्रतिशत) होने के कारण उनके लिए उर्वरक एवं कीटनाशक की व्यवस्था करना संभव नहीं रहता है। इसी कारण से उनके द्वारा समूह चर्चा में उर्वरक एवं खाद पर भी अनुदान उपलब्ध कराये जाने का सुझाव दिया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा वर्तमान में सीमित हितग्राहियों (28 प्रतिशत) के पास ही है। किसान क्रेडिट कार्ड व्यवस्था का विस्तार कर योजना की भावना के अनुरूप अनु.जाति, जनजाति के सीमान्त एवं लघु श्रेणी के कृषकों की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है, क्योंकि 65 प्रतिशत से अधिक हितग्राहियों द्वारा योजना उपरान्त पैदावार में बढ़ोत्तरी महसूस की गई है।

4.8 बीज की समय पर उपलब्धता

समूह चर्चा के दौरान हितग्राहियों द्वारा बीज को समय पर उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता को रेखांकित किया गया है। यद्यपि अधिकांश हितग्राहियों द्वारा ग्राम सेवक की भूमिका से संतुष्टि ज़ाहिर की गई है, परन्तु समय पर जानकारी नहीं मिलने की बात भी उभरकर सामने आई है। इन दोनों पहलूओं पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

अध्ययन में प्राप्त जानकारी के निष्कर्ष अनुसार हितग्राहियों में 80 प्रतिशत से ज्यादा पुरूष हैं, जिसका कारण संभवतः भू–स्वामित्व में पुरूषों का वर्चस्व होना है। अतः हितग्राहियों के चयन में महिलाओं पर विशेष ध्यान दिये जाने एवं अन्य योजनाओं की तरह महिलाओं के नाम पर भूमि होने पर उन्हें योजनांतर्गत अतिरिक्त लाभ/सुविधा देने पर भी विचार किया जा सकता है।

अध्याय पॉच–परिशिष्ट

5.0 उत्तरदाताओं की प्रस्थिति

5.1 उत्तरदाताओं की सामाजिक प्रस्थिति

तालिकाः 5.1.1 हितग्राहियों का जातिवार स्थिति

जिले का नाम	अनु.जाति	अनु.जनजाति
इन्दौर	100%	0%
मण्डला	4%	96%
योग	52%	48%

तालिकाः 5.1.2 हितग्राहियों की लिंगवार स्थिति

जिले का नाम	स्त्री	पुरूष
इन्दौर	17%	83%
मण्डला	20%	81%
योग	18%	82%

तालिकाः 5.1.3 हितग्राहियों की शैक्षणिक स्थिति

जिले का नाम	5वीं तक	8वीं तक	10वीं तक	10वीं से अधिक	अशिक्षित
इन्दौर	17%	12%	4%	8%	59%
मण्डला	30%	19%	3%	9%	38%
योग	24%	15%	3%	9%	49%

5.2 उत्तरदाओं की आर्थिक प्रस्थिति

तालिकाः 5.2.1 हितग्राहियों की आर्थिक श्रेणीवार स्थिति

जिले का नाम	बी.पी.एल	ए.पी.एल
इन्दौर	65%	35%
मण्डला	65%	35%
योग	65%	35%

5.2.2 हितग्राहियों की आय का मुख्य स्त्रोत

जिले का नाम	नौकरी	खेती	स्वरोजगार	अन्य
इन्दौर	3%	47%	2%	48%
मण्डला	4%	93%	2%	1%
योग	4%	70%	1%	25%

5.2.3 हितग्राहियों का कृषक श्रेणी वर्गीकरण

जिले का नाम	सीमान्त	लघु	भूमिहीन
इन्दौर	91%	7%	2%
मण्डला	63%	35%	2%
योग	77%	21%	2%

5.2.4 हितग्राहियों के किसान केडिट कार्ड की स्थिति

जिले का नाम	हॉ	नहीं
इन्दौर	23%	77%
मण्डला	32%	68%
योग	28%	72%

5.2.5 हितग्राहियों के पास उपलब्ध सिंचाई साधनों की उपलब्धता

जिले का नाम	कुआँ	तालाब	नदी	ट्यूबवेल	प्राकृतिक वर्षा
इन्दौर	0%	2%	0%	35%	63%
मण्डला	18%	0%	3%	2%	77%
योग	9%	1%	1%	19%	70%

5.3 योजना के प्रति जागरूकता का स्तर

5.3.1 हितग्राहियों का योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करने का स्त्रोत (बहुविकल्पीय)

जिले का नाम	ग्रामसेवक	ग्रामसभा /पंचायत	स्वयंसेवी संगठन	सचिव/ पटवारी	अन्य
इन्दौर	81%	12%	0%	0%	7%
मण्डला	100%	95%	5%	0%	0%
योग	90%	53%	3%	0%	3%

5.3.2 हितग्राहियों का योजना की प्रक्रियाओं की जानकारी का स्तर

जिले का नाम	हॉ	नहीं
इन्दौर	13%	87%
मण्डला	2%	98%
योग	7%	93%

5.4 योजना के क्रियान्वयन की स्थिति

5.4.1 हितग्राहियों के चयन में ग्रामवासियों से सलाह–मशविरा लिया जाना

जिले का नाम	हॉ	नहीं
इन्दौर	16%	84%
मण्डला	97%	3%
योग	56%	44%

5.4.2 योजना के प्रचार–प्रसार में ग्रामवासियों से सहयोग लिए जाने की स्थिति

जिले का नाम	हॉ	नहीं
इन्दौर	46%	54%
मण्डला	22%	78%
योग	34%	66%

5.4.3 कार्यक्रम के कियान्वयन में विभागीय अमले द्वारा ग्रामवासियों से सहयोग लेने की स्थिति

जिले का नाम	**हॉ**	**नहीं**
इन्दौर	33%	67%
मण्डला	91%	9%
योग	61%	39%

5.4.4 योजनांतर्गत विभिन्न घटकों में लाभ लेने की आवृत्ति

जिले का नाम	एक बार		दो बार		तीन बार		चार बार		पॉच बार		पॉच बार से अधिक	
	अदला –बदली	स्वाव लंबन	अदला– बदली	स्वाव लंबन	अदला– बदली	स्वाव लंबन	अदला– बदली	स्वाव लंबन	अदला –बदली	स्वाव लंबन	अदला– बदली	स्वाव लंबन
इन्दौर	42%	43%	20%	26%	19%	22%	3%	2%	1%	2%	15%	5%
मण्डला	97%	92%	3%	8%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
योग	**68%**	**69%**	**12%**	**17%**	**10%**	**10%**	**2%**	**1%**	**1%**	**1%**	**7%**	**2%**

5.4.5 योजना के अलावा विभाग द्वारा बीज, उर्वरक आदि संसाधनों के उपयोग की जानकारी दिये जाने की स्थिति

जिले का नाम	हॉ	नहीं
इन्दौर	62%	38%
मण्डला	93%	7%
योग	77%	23%

5.4.6 योजना क्रियान्वयन में ग्रामसेवक की भूमिका से संतुष्टि का स्तर

जिले का नाम	हॉ	नहीं
इन्दौर	98%	2%
मण्डला	84%	16%
योग	91%	9%

5.5 योजना की प्रभावशीलता

5.5.1 योजना में शामिल होने के पश्चात पैदावार में अंतर की स्थिति

जिले का नाम	पैदावार बढ़ी है	पैदावार घटी है	कोई अंतर नहीं
इन्दौर	43%	8%	49%
मण्डला	89%	4%	7%
योग	66%	6%	28%

5.5.2 योजना उपरांत भूमि में आए बदलाव की स्थिति

जिले का नाम	भूमि पहले से अधिक उपजाऊ हो गई	भूमि का इस्तेमाल कई फसलों के लिए हो गया	कोई अन्तर नहीं आया	अन्य, यदि कोई हो
इन्दौर	10%	8%	47%	35%
मण्डला	63%	27%	10%	0%
योग	36%	18%	29%	17%